रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 1989/वैसाख 7, 1911
No. 226] NEW DELHI THURSDAY, APRIL 27, 1989/VAISAKHA 7, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1989

सा का नि 475 (अ) — महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए कोचीन पत्तन न्यास (जहाज जलयान के आसेध या रोक तथा बिक्री) विनियम, 1988 जिसका केरल के राजपत्र में 31 जनवरी, 1988 और 7 फरवरी, 1989 को प्रकाशन हुआ था और जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथावर्णित है, को अनुमोदित करती है ।

[फा सं पी आर-16012/20/88-पीजी]

योगेन्द्र नारायण संयुक्त सचिव

अनुसूची

म. बो 2/1633/89/एम

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 123 की उपधारा (द) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 121 के अधीन केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ केरल सरकार के राजपत्र में 12 जुलाई, 1988 तथा 26 जुलाई 1988 के दो अंकों में यथावार प्रकाशित किया था ।

1 (1) संक्षिप्त नाम :— इन विनियमों का नाम कोचिन पत्तन न्यास (जहाज जलयान के आसेध या रोक तथा बिक्री) विनियम 1988 है ।

(2) प्रारंभ — ये सरकारी राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2 विनियोग महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 या उसके अन्तर्गत बनाये कोई भी विनियम या आदेशों के अन्तर्गत देय दंड या दर या दोनों देनेवाले सभी जलयानों के लिए ये विनियम लागू होंगे लेकिन केन्द्रीय सरकार के

या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में आने वाले या विदेशी राज्य के युद्ध होंगे या में आने वाले जलयानों के लिए लागू नहीं

3 परिभाषाय :–इन विनियमों में सन्दर्भ अन्य प्रकार से अपेक्षित न हो तो,

(1) "अधिनियम" का अर्थ महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) से अभिप्रेत है ।

(2) "उप संरक्षक" से उसी अधिकारी अभिप्रेत है (जो होने फिलहाल समुद्री विभाग का प्रभारी हो तथा जिनके साथ उप एवं सहायक अधिकारी भी शामिल हो और अन्य कोई भी अधिकारी उप संरक्षक के अधीन में काम करते हो ।

(3) "फार्म" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म से अभिप्रेत है ।

(4) "दर" का अर्थ अधिनियम के अन्तर्गत अदायगी करने दर या दंड अभिप्रेत है ।

(5) इन विनियमों में उपयोग किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में उनको क्रमशः नियत किये गये है ।

4. आसेध या जलयानों का रोक

(1) जहां कोई जलयान, जिसके दर/दंड का भुगतान न किया गया है, पोर्ट में पड़ा है उसके लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म । में एक मांग पत्र दी जा सकती है जिसमें अदायगी न दिये गये जलयान के मास्टर से उक्त मांग पत्र की जारी से सात दिनों के अन्दर सभी दर या दंड अदा करने का अनुरोध कर सकता है ।

2. पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को मिलने वाले शेष रकम से सम्बन्धित उक्त मांग पत्र के साथ सम्बन्धित वेसल के मालिक या ऐजेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत किया बिल के साथ उसके बिल एवं प्रतिलिपि भी रखना चाहिए जिसमें दर या जुर्माना का पूर्ण विवरण दिया हो ।

3. उक्त मांग मास्टर को उपयोगी होना चाहिए और मास्टर के गैर हाजिरी में मांग पत्र जहाज के मस्तूल पर चिपकाने से मास्टर के उपयोग में आया जैसा समझा जायगा ।

4. भुगतान नहीं किया गया वेसल के मास्टर, उनको दिये गये मांग पत्र में सूचित समय के अन्दर दर या अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया तो उस वेसल को आसेध या रोकन का हक बोर्ड को होता है । इसके साथ वेसल के रस्से ,परिधान एवं अन्य उपकरण आदि भी अदायगी करने तक पोर्ट के पास रखा जा सकता है । साथ ही वेसल के आसेध या रोक करने के अवधि में किसी प्रकार के पोर्ट को प्राप्त होने का रकम अदायगी करना शेष है तो उसका भी भुगतान करने तक पोर्ट के पास ये सामान रख सकता है ।

5. अनदायगी जलयान के रोक या आसेध के लिए उप संरक्षक द्वारा फार्म-II में वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाएगा जिसमें देय रकम की व्यक्त सूचना देने के साथ साथ यह भी सूचित किया जाये कि बोर्ड को देय सभी दर/अर्थदण्ड लगत की अदायगी करने तक वेसल का आसेध या रोक जारी किया जायगा ।

(6क). वारंट गिरफ्तारी जलयान के मास्टर को दिया जायगा और उसका एक प्रतिलिपि जलयान के मस्तूल पर चिपकाया जाएगा ।

(ख) यदि मास्टर हाजिर नहीं है या वारंट स्वीकार करने से इनकार करता है तो जलयान के मस्तूल पर चिपकाये गये वारंट की प्रतिलिपि मास्टर के काम में आया जैसा समझा जाएगा ।

7. जलयान का आसेध या अवरुद्ध के बाद पांच दिनों के अन्दर बोर्ड के विनानुसार मालिक/मास्टर या जलयान के एजेन्ट द्वारा उक्त दर अर्थ दर या आसेध या अवरुद्ध का मूल्य या उसके रख-रखाव सम्बन्धी या मूल्य की अदायगी न किया है तो जलयान या उसके आसेध या अवरुद्ध सामानों की बिक्री के लिए बोर्ड को उत्तरदायित्व है ।

8. यदि एक विदेशी जलयान को एक आदेश के अनुसार आसेध या अवरुद्ध किया गया है तो उस राज्य का एम्बसी एवं जल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भी सूचना दी जाए ।

5 आसेध या अवरुद्ध जलयान की बिक्री

1 अवरुद्ध जलयान के आरक्षित बिक्री मूल्य को निश्चय करने के लिए स्वीकृत सर्वेक्षक द्वारा निश्चेय किये गये जलयान के सम्बन्ध में उप संरक्षक द्वारा एक मूल्यांकित सर्वेक्षण करना चाहिए ।

2. जलयान एवं रस्से, परिधान ,एवं उपकरण की बिक्री के पहले ही उप संरक्षक को महानिदेशक जहाजरानी से अनुमति मिलना चाहिए ।

3. जलयान की बिक्री, सामानों की बिक्री अधिनियम, 1930 की उपबन्धों एवं निविदा नोटिस में दिये गये शर्तों के अनुसार की जाएगी ।

4 फार्म-III में दिये गये प्रेस विज्ञापन के अनुसार कम से कम चार अखबारों में, जिनमें एक हिन्दी और प्रादेशिक भाषा का हो, मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाएगी । इसमें निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित भी सूचित की जायगी ।

5. एक निर्धारित समय जो उप संरक्षक द्वारा तय किया जाएगा, के दौरान प्रेस में बिक्री नोटीस प्रकाशित करने के बाद प्रत्याशित खरीदारों को जलयान का निरीक्षण करने के लिए अनुमति दी जाएगी ।

6 हर एक निविदा के साथ उप संरक्षक द्वारा तय किये गये बयाना निक्षेप का बैंक ड्राफ्ट भी होना ।

7 नियत तारीख तथा समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकृत किया जाएगा ।

8. उप संरक्षक द्वारा निश्चित तारीख और समय पर निविदाकारों की उपस्थिति में मुहरबंद निविदा खुला जाएगा और उस समय कोई निविदा कार अनुपस्थित है तो कारण बताकर, खुले बिना उनकी निविदा अस्वीकृत की जाएगी ।

9. स्वीकृत निविदाकार को प्रस्ताव की स्वीकृति सम्बन्धी सूचना दी जाएगी ।

10. निविदा की स्वीकृति के बाद पांच दिनों के अन्दर निविदाकार द्वारा स्वीकृत रकम का 25% अदा करना है और शेष रकम उस तारीख से 15 दिनों के अन्दर अदा करना है । निविदा मूल्य के अलावा उप संरक्षक द्वारा निश्चित किये सुरक्षा निक्षेप के लिए रुपये /बैंक ग्यारंटी भी निविदाकार देना है जो समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के अन्दर वापस दिया जाएगा । जो भी हो इस निक्षेप पर पोर्ट द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

11 निविदा की स्वीकृति से पांच दिनों के अन्दर स्वीकृत रकम के 25% को अदायगी में चूक होने पर, जब तक दूसरा आदेश अपेक्षित न हो, बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगा और बयाना निक्षेप का जुरमाना दिया जाएगा और जलयान को स्वीकृत निविदाकार के जोखिम पर, पुनः बिक्री की जाएगी ।

12 किसी कारण से 30 दिनों के अन्दर बन्दरगाह से जलयान दूर नहीं किया जाता है तो नियमित प्रभार के साथ अतिरिक्त अर्थ भाड़ा,जो पोर्ट पर से दिया गया है, का उद्ग्रहण किया जाएगा ।

13 किसी भी परिस्थिति में, जब तक, उसी प्रकार करने के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी हो, पोर्ट सीमाओं के अन्दर या बन्दरगाह के अन्दर स्थित जहाज का टूट-फूट या विघटन करने के लिए उपभोक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6 जलयान के खरीददार की दायित्व

1 निविदा स्वीकृत करने की तारीख से सभी अर्थदण्ड/दर और अन्य प्रभार खरीददार के खाते में आ जाएगा ।

2 निविदा की स्वीकृति पर, 30 दिनों के लिए पोर्ट को प्राप्त राशि, शुल्क एवं उस अवधि के लिए उप संरक्षक द्वारा प्राक्कलित प्रभार भी पोर्ट के साथ खरीददार निक्षेप करना है ।

3 सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर आदि खरीददार के खाते में रखा जाएगा और उक्त प्राधिकारियों को खरीददार द्वारा ऐसे ड्यूटी एवं कर से सम्बन्धित रकम अदा करना है । पोर्ट द्वारा जलयान को निकासी के लिए अनुमति देने से पहले ऐसे भुगतान का रसीद दिखाना चाहिए ।

4 (क) निविदा स्वीकृति करने के बाद तुरन्त ही एक प्रमाणपत्रित मास्टर, प्रमाणपत्रित अधिकारियों एवं प्रमाणपत्रित इंजीनियर्स के साथ पर्याप्त संख्या का कर्मीदल ,जलयान बन्दरगाह के अन्दर रखते समय, खरीददार द्वारा जलयान के मैनिंग एवं अनुरक्षण के लिए सभी प्रबन्ध बनाये रखना है ।

(ख) जलयान के मैनिंग एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रबन्ध बनाने में खरीददार असमर्थ है तो पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा उस उद्देश्य के लिए उचित व्यक्तियों को नियुक्त करके कार्य किया जाएगा और उससे सम्बन्धित सभी यथोचित खर्च खरीददार से वसूल किया जाएगा ।

फार्म-1

[विनियम 4 (1) को देखें]

सेवा में

मास्टर

एम.वी./एस.एस.

विषय - एम.वी. दर/पीनल टाइम - दर के अदेनगी/अर्थ-दण्ड-अदायगी के नोटिस जारी करना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि निम्न दर अर्थ दण्ड दिनांक. . . तक, रुपये मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 क की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बनाए विनियमों एवं आदेशों के अनुसार दिनांक . . . . . .के पहले अदा किया जाए ।

1 2 . . 3. . . . .

पोर्ट को देय उपर्युक्त दर/अर्थ दण्ड के भुगतान के बारे में वेसल के मास्टर या एजेन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के वेसल से . .तारीख को. . . . . रुपये पोर्ट को देय है ।

2 आपको सूचना दी जाती है कि इस नोटिस को प्राप्त हुए 7 दिन के अन्दर उपर्युक्त अदायगी किया जाए, जिसके न होने पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 64 के उपबंधों के अनुसार जलयानों को आसेध या रोक किया जाएगा तथा उसके रस्से, परिधान तथा उपकरणों को, जलयानों के आसेध या रोक किए जाने समय तक जो रकम बोर्ड को दिया जाता है उसको अदा करने के समय तक रोक रखा जाएगा ।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रतिलिपि :

मैसर्स

एम.वी. के मालिक

प्रतिलिपि : मैसर्स

जलयान के एजेन्ट

फार्म - 2

[विनियम 4 (5) को देखें]

सेवा में

मास्टर

एम.वी./एस.एस.

विषय पोत परिवहन -एम.वी. दर/अर्थ दण्ड-दर अर्थ दण्ड के अदेनगी/आसेध आदेश - जारी करना

संदर्भ : मेरे समसंख्यक पत्र दिनांक . . . .

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र पर ध्यान दें । आपसे अनुरोध है कि दिनांक. . . . . के पहले . . . . .रुपये दर. . . . . पोर्ट ट्रस्ट को देय दि. . . . . .के पहले अदा किया जाये तारीख के माग के अनुसार . . . . पोर्ट ट्रस्ट को देय उपर्युक्त दर / अर्थ दण्ड के भुगतान के बारे में वेसल के मास्टर या एजेन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली है । आपके अधीन के वेसल से . . . . . तारीख को. . . . . .रुपये पोर्ट को देय है ।

बोर्ड को उपर्युक्त दर / अर्थ दण्ड के अदेनगी के कारण मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार वेसल एम.वी. . . . . को एतद्द्वारा आसेध किया जाता है तथा जलयानों के आसेध या रोक किए जाने के समय तक जो रकम बोर्ड को देय है उसको अदा करने के समय तक रोक दिया जाएगा ।

यह भी नोट किया जाये कि यदि उक्त राशि तथा आसेध का खर्च आसेध आदेश (तारीख) . . . . को प्राप्त हुए 5 दिन के अन्दर न चुका हो तो उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधिकारों के अनुसार वेसल को बेचने का मैं बाध्य हूं । वेसल की बिक्री की राशि का उसकी बिक्री के लिए खर्च की गयी राशि सहित बोर्ड के देय राशि के साथ समायोजन किया जाएगा ।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रतिलिपि

मैसर्स

एम.वी. के मालिक

मैसर्स वैसल के एजेन्ट

फार्म 3

[विनियमय 5 (4) को देखें]

विज्ञापन

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर्ट ट्रस्ट वेसल एम वी . की बिक्री के लिए अभीष्ट खरीददार से मुहरबंद निविदाएं "जैसा है जहां है", आधार पर आमंत्रित की जाती है।

2 वेसल का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

वेसल का नाम

निर्माण वर्ष

जी आर टी

एनआर टी

लंबाई

चौड़ाई

गहराई

कुल भार

वर्गीकरण

इंजन

बी एच पी

एल डी टी

निर्माण वर्ष

यार्ड

3 निविदाएं बंद लिफाफे में उप संरक्षक पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में दि को बजे पहुंचा जाये, जिसके साथ रुपये के बयाना धन जमा के बैंक ड्राफ्ट के नाम पर को भुगतान किए योग्य भी संलग्न करें। निविदा को प्रस्तुत करते समय लिफाफे में लिखना है 'एम वी के खरीद के लिए निविदा"

4 नियत तारीख और निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा को अस्वीकार किया जाएगा।

5 वेसल के लिए मुहरबन्द निविदाएं उप संरक्षक पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उनके कार्यालय में को खुला जाएगी। चुनी हुई निविदा की स्वीकृति पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाएगा।

6 निविदा की स्वीकृति को प्राप्त 5 दिन के अन्दर निविदावाला कुल राशि के 25% तथा 15 दिनों के अन्दर शेष रकम को अदा करना है। बैंक गारन्टी को स्वीकार नहीं करेगा। निविदा की स्वीकृति को प्राप्त हुए 5 दिन के अन्दर कुल राशि के 25% अदा नहीं किया है। अन्य कोई आदेश न होने पर, बिक्री अपने आपमें रद्द हो जाएगा तथा बयाना धन जमा . रुपये अर्थ दण्ड लिया जाएगा और जहाज को ठेकेदार के खर्च पर पुन बिक्री किया जाएगा। यदि शेष रकम को निविदा को स्वीकार किए 15 दिन के अन्दर अदा नहीं किया जाएगा तो बिक्री अपने आपसे रद्द हो जाएगा तथा बयाना धन जमा रुपये अर्थ दण्ड लिया जाएगा। अदा किये 25% राशि का, यदि कोई कमी आ गयी है तो उसके लिए या पुन बिक्री के लिए खर्च हुई राशि के लिए उपयोग किया जाएगा।

7 सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर आदि "खरीददार के हिसाब" में लागू है।

8 निविदाएं उप संरक्षक पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उनके कार्यालय में को बजे खुली जाएगी।

9 जहाज को बिक्री के दिन से 30 दिन के अन्दर पोर्ट से निकाला है। इस समय जहाज प्राधिकृत मास्टरों, प्राधिकृत अधिकारियों, इंजीनियरों एवं कर्मीदलों के अधीन में होगा। इनका प्रबन्ध खरीददार को करना चाहिए।

10 मेजर पोर्ट ट्रस्ट (आसेध या रोक तथा जलयान का बिक्री) विनियम, 1988 के अनुसार, वेसलों की बिक्री से लेकर हार्बर से निकालने के समय तक के सभी व्यय/अर्थ दण्ड को खरीददार अदा करता है।

11 वेसल हार्बर में या पोर्ट में रहते समय किसी भी परिस्थिति में खरीददार को उसे विखण्डित करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12 . . . . . . पर खड़े जहाज के . . से . . . . समय तक निरीक्षण के लिए उप संरक्षक से पूर्व नियोजन प्राप्त करना है।

13 बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को तिरस्कार करने का अधिकार पोर्ट का है (पोर्ट ट्रस्ट)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1989

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government hereby approve the Cochin Port Trust (Distraint or arrest and sale of Vessels) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees of Cochin Port in exercise of powers conferred on them by section 123 of the said Act, and published in the Kerala Gazette dated 31st January, 1988 and 7th February, 1989 and as set out in the Schedule to this notification

[File No. PR-16012|20|88-PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

No B2|1633|88|S.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (f) and (k) of Section 123 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations, the same having been published for two successive weeks, in the Kerala Government Gazette dated 12th July, 1988 and 26th July 1988 respectively, with the approval of the Central Government under Section 124 of the said Act.

1 (i) Short Title.—These Regulations may be called "The Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and sale of Vessels) Regulations, 1988"

(ii) Commencement.—They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2 Application.—These regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates or penalties or both are payable under the Major Port Trusts Act, 1963 or under any regulations or orders made thereunder, but shall not apply to vesels belonging to, or in the service of, the Central Government or a State Government or to any vessel of war belonging to any Foreign State.

3. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires :

(i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(ii) "Deputy Conservator" means the Officer for the time being in charge of the Marine Department of the Port Trust and includes the Deputies and Assistants to the Deputy Conservator and any other officers acting under the authority of the Deputy Conservator.

(iii) "Form" means the form annexed to these regulations;

(iv) "rates" means the rates or penalties payable under the Act.

(v) words and expressions used in these regulations but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Distraint or arrest of vessels.—(1) Where any vessel in respect of which rates| penalties have not been paid is lying at the Port, a demand in Form shall be made by the Deputy Conservator upon the Master of the defaulting vessel requiring the said Master to pay all the rates or penalties within a period of seven days from the date of issue of the said demand.

(2) The said demand shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of rates or penalties which were raised against the owner or agent of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.

(3) The said demand shall be served upon the Master and in the event of non-availability of the Master, the affixing of the demand notice on the mast of the vessel shall be deemed as service of the demand upon the Master.

(4) If the Master of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates|penalties or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon the Master, the Board may proceed to distrain or arrest such vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessels is under distraint or arrest, is paid.

(5) In order to distrain or arrest the defaulting vessel, the Deputy Conservator shall issue a warrant of arrest in Form II clearly specifying the amount due and indicating that the distraint or arrest shall continue until the amount so due to the Board together with further accrual of rates or penalties and costs are paid towards full satisfaction of the Board.

(6) (a) The warrant of arrest shall be served upon the Master of the vessel and a copy thereof shall also be affixed on the master of the vessel.

(b) In cases where the Master is not available or avoids service of the warrant, the fixing of the copy of the warrant on the mast of the vessel shall be deemed as service of the warrant upon the Master.

(7) If the said rates|penalties or cost of the distraint or arrest of the vessel or of the keeping of the same are not paid by the owner or master or agent of the vessel towards full satisfaction of the Board within a period of five days next after the distress or arrest has been made, the Board shall cause the vessel or other things so distrained or arrested to be sold.

(8) In the case of a foreign vessel placed under distraint or arrest by an order, the Embassy of the Flag Country and the Government of India in the Ministry of Surface Transport shall be informed.

5. Sale of distrained or arrested vessel :

(1) The Deputy Conservator shall have a valuation survey of the vessel carried out by approved Surveyors to ascertain the reserve sale price of the distrained vessel.

(2) The Deputy Conservator shall obtain the permission of the Director General, Shipping before putting the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, to sale.

(3) The sale shall be held in accordance with the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and also in terms of the conditions of sale as per Tender Notice.

(4) Sealed tenders shall be invited from the prospective buyers through press advertisement, as in Form III, at least in four leading newspapers, including Hindi and one regional language daily, specifying the last date for the receipt of tenders.

(5) The prospective buyers shall be permitted to inspect the vessel after the sale notice is published in the Press, during a specified period which shall be fixed by the Deputy Conservator.

(6) Each tender shall be accompanied by an earnest money deposit, to be paid by bank draft, to be fixed by the Deputy Conservator in each case.

(7) The tenders received after the due date and time, shall be summarily rejected.

(8) The sealed tenders shall be opened in the presence of tenders present on the date and time fixed by th Deputy Conservator for opening the tenders and if any tenders is not present at the time fixed for opening the tenders, his tender may be rejected without opening, giving the reasons.

(9) The acceptance of the offer shall be communicated to the successful tenders.

(10) The successful tender shall pay 25 per cent of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance amount within 15 days from that date. In addition to the tender value the successful tenderer will also deposit such money|bank guarantee for a value as determined by the Deputy Conservator as security deposit which will be returned within a period of 3 months after successful completion. However, no interest shall be paid by the port on the deposit so made.

(11) In default of payment of 25 per cent of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall, unless otherwise ordered, stand automatically revoked, and the earnest money shall be forfeited, and the vessel shall be resold at the risk of the tenderer whose tender was accepted.

(12) If the vessel is not removed from the harbour for any reason within 30 days, additional berth hire charges beyond the normal charges, as laid down in the Port's Scale of Rates, shall be levied

(13) Under no circumstances, the buyer shall be permitted to dismantle or break the ship inside the harbour or within the port limits, unless or otherwise it is specifically permitted to do so.

6. Liabilities of the buyer of the vessel :

(1) On and from the date of acceptance of the tender all rates|penalties and other charges shall be to the buyer's account.

(2) Upon acceptance of the tender, the buyer shall deposit with the port an amount representing 30 days' port dues, fees and charges as may be estimated by the Deputy Conservator to be payable for such period.

(3) Customs and Excise duties, Sales Tax, Local Taxes, etc. shall be as applicable on buyer's account and he should remit the amounts on account of such duties and taxes to the concerned authorities and produce the receipts for such payments before the clearance is granted to the vessel by the Port.

(4) (a) Immediately after the acceptance of the tender the buyer shall make all arrangements for manning and maintenance of the vessel by a certificated master, certificated officers and certificated engineers with an adequate number of crew during the period the vessel is kept inside the harbour.

(b) In case of failure by the buyer in making necessary arrangements for manning and maintaining the vessel, the Port authorities may hire ad employ proper persons for that purpose and all reasonable expenses incurred in this connection shall be recoverable from the buyer.

Sd/-

P. K. BHASKARAN, Dy. Secy.

FORM I

[See Regulation 4 (1)]

To

The Master,

m.v./S.S.

Subject—m.v. Rates/Penalties—Non-payment of rates/penalties—Issue of Notice demanding immediate payment.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs. ..... as on ..... towards the following rates/penalties payable under the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963/regulations or orders made thereunder due to the Port Trust on or before.....

1. ..... 2. ..... 3. ..... No steps have so far been taken by you as the Master of the vessel, or by the Agents, to pay dues to the Port as demanded towards aforesaid rates penalities. As on..... an amount of Rs. ..... is due from the vessel under your command.

2. Notice is hereby given to you for making the above payment in this seven days on receipt of this Notice, failing which provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act 1963 will be invoked to distrain or arrest the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof, and detain the same until the amount so due to the Board, together wih such furher amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

Yours faithfully,

DEPUTY CONSERVATOR

Copy to : M/s.

Owners of m.v.

Copy to : M/s.

Agents of the vessel.

FORM II

[See Regulation 4(5)]

To

The Master,

m.v./S.S.

Subject—Shipping—m.v. Rates/penalties—Non-payment of rates/penalties—Distrain Order—issue of.

Ref. : My letter of even number dated.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs.....as on.....forwards the Rates/penalties due to the ..... Port Trusts on or before..... .....no steps have so far been taken by you as master of the vessel or by the agents to pay the dues to the.....Port Trust as demanded on ..... You are hereby notified that an approximate amount of Rs. ..... towards rates/penalties as on ..... is due from the vessel under your command.

In view of the non-payment of the above rates/penalties due to the ..... Board, I hereby pass orders in exercise of the powers given under the provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 that the vessel m.v. ..... is hereby distrained and will be kept under detention until the amount due to the..... ..... Board together with such further amount as pay accrue for any period during which the vessel is distrained and detained is paid.

Please also note that in case the above said amount and the cost of the distraint is not settled within 5 days from the date of distrain order (i.e.) ..... I shall be constrained to sell the above vessel under the powers vested under section 64 of the said Act and the sale proceeds will be adjusted against the charges due to the Board including the cost of the sale of the vessel.

Yours faithfully.

DEPUTY CONSERVATOR

Copy to : M/s.

Owners of m.v.

Copy to : M/s.

Agents of the vessel.

FORM III

[See Regulation 5(4)]

ADVERTISEMENT

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 ..... Port Trust invite sealed tenders from the intended purchasers for the sale of the vessel m.v. ..... on "as is where is" basis.

2. Brief particulars of the vessel are as follows :—

Name of the vesel .....

Year of Built .....

G.R.T. .....

N.R.T. .....

Length .....

Breadth .....

Depth .....

Deadweight .....

Classification .....

Engine .....

B.H.P. .....

L.D.T. .....

Year of Built .....

Yard .....

3. Offers in double sealed covers are invited before ..... Hrs. on .. .. addressed to the Deputy Cinservator ..... Port Trust alongwith an Earnest Money Deposit of Rs. ..... (Rupees .....) by Bank Draft payable at ..... in favour of ..... The tender should be submitted superscribing on the envelop TENDER FOR THE PURCHASE OF M.V. ..... .

4. All tenders received after the due date and time will be summarily rejected.

5. The sealed tenders for the purchase of the vessel shall be opened on ..... in the presence of Deputy Conservator ..... Port Trust in his office. The acceptance of the offer will be communicated to the successful tenderer.

6. The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance within 15 days from that date. No Bank Guarantee will be accepted. In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall unless otherwise ordered, stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit of Rs. ..... forfeited and the ship resold at the risk of cost of the tenderer, whose tender was accepted. Should the balance of sale consideration be not paid within the aforesaid time of 15 days from the acceptance of the tender, the sale shall stand automaically revoked and the earnest money of Rs. ..... be forfeited. The 25% amount already paid shall be retained to meet any shortfall or other expenses arising out of the said resale.

7. Customs, Excise and Import Duty, Sales Tax, Local Taxes, etc. as applicable on 'BUYERS ACCOUNT'.

8. The tenders will be opened on ..... at .... in the presence of the Deputy Conservator ..... Port Trust in his office and the acceptance of any tender will be at the sole discretion of the Deputy Conservator ..... Port Trust.

9. The ship should be removed from the.....Port within 30 days from the date of sale. During this time the ship should be kept manned by certified Master, certificated officers and certificated Engineers plus an adequate number of crew. Those arrangements should be made by the Buyer.

10. The Buyer will have to pay all the rate/penalties from the date of sale of the vessel till the date of actual removal of the vessel from the harbour in accordance with the Major Port Trust (Distraint or Arrest and sale of vessels) Regulations, 1988.

11 Under no circumstances, the Buyer be permitted to dismantle the ship inside the harbour or within Port limits, unless or otherwise it a permitted to do so.

12. The ship which is lying at.....may be inspected by prior appointment with the Deputy Conservator, from . . .. to .....

13. The Port reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

(PORT TRUST)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989